

१४४ कि धारा नक़ल मुक्त का नारा, तनाव से राहत हो अभियान हमरा, मुस्लिम छात्रों के बुरके पर पाबंदी नहीं



महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी से दैनिक तामीर के संवाददाता अज़ीज़ ऐजाज की खास बातचीत

मुंबई, १२ फरवरी

महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुईं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों ने ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी और फ्लाईंग स्कॉड की तैनाती की है। ८१८ से अधिक संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है, जहाँ अचानक निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए धारा १४४ लागू कर दी गई है। एक बड़े अभियान के तहत परीक्षा केंद्रों के ५०० मीटर के दायरे में मौजूद सभी फोटोकॉपी की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस कोड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी ने स्पष्ट किया कि बुरका पहनने वाले छात्रों को परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते वे सुरक्षा जांच का पालन करें। इस वर्ष परीक्षाओं को जल्दी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य परिणामों को जल्द घोषित करना, कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाना और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

रोज़ानामा तामीर ने क्विज परीक्षाओं २०२५ को लेकर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष शरद गोसावी से विस्तृत बातचीत की, जो इस प्रकार है:

(१) बुरका पहनने वाले छात्रों को परीक्षा देने से रोके जाने की आशंका थी। इस पर बोर्ड का क्या रुख है?

उत्तर: मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दूँ - छात्रों के बुरका पहनने पर कोई रोक नहीं है। हर छात्र, चाहे उसका पहनावा कुछ भी हो, परीक्षा देने का अधिकार रखता है। केवल एक ही शर्त है कि सुरक्षा जांच प्रक्रिया का पालन किया जाए ताकि किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। हमारा उद्देश्य सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना है।

(२) इस साल परीक्षा पिछले सालों की तुलना में १० दिन पहले शुरू हो गई है। इसके पीछे का कारण क्या है?

उत्तर: परीक्षा के शेड्यूल को पहले करने से हमें १५ मई तक परिणाम घोषित करने का मौका मिलता है, जिससे छात्रों को कॉलेज में प्रवेश लेने

और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिना देरी के आवेदन करने का पर्याप्त समय मिल सके। शुरुआत में कुछ चिंताएँ थीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यह निर्णय छात्रों के भविष्य के लिए लाभदायक होगा।

हमारी टीम ने मंगलवार दोपहर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि क्विज बोर्ड परीक्षाओं का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक में यह पक्का किया गया कि हर जिला और परीक्षा केंद्र पूरी तरह तैयार है। गोसावी जी ने बताया कि बोर्ड सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

इसके अलावा, पिछले एक महीने से लगभग दो लाख लोग, जिनमें सरकारी अधिकारी, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और स्कूल प्रशासन शामिल हैं, क्विज बोर्ड परीक्षा उत्सव नाम की पहल के तहत इन परीक्षाओं को एक व्यवस्थित और सुगठित प्रक्रिया बनाने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में एक अनुशासित, सुव्यवस्थित और छात्र-हितैषी परीक्षा वातावरण बनाना

है।

कॉपी फ्री अभियान के तहत, परीक्षा से एक हफ्ते पहले सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया गया। स्कूलों और जूनियर कॉलेजों को निर्देश दिए गए कि वे छात्रों को नैतिक मूल्यों और नकल करने के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें।

(३) यदि कोई छात्र या परीक्षा केंद्र नकल में पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा?

उत्तर: यदि कोई भी छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिस एक्ट, १९८२ के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन परीक्षा केंद्रों को नकल करवाने या उसमें सहयोग देने का दोषी पाया जाएगा, उन्हें भविष्य के बोर्ड परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(४) इस साल छात्रों को परीक्षा हॉल के अंदर अपनी निजी पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके पीछे क्या कारण है?

उत्तर: हमने छात्रों को अपनी पानी

की बोतलें लाने की अनुमति दी है। हालांकि, इन बोतलों को एक निश्चित स्थान पर सख्त निगरानी में रखा जाएगा। पहले, छात्रों द्वारा पानी की बोतलों में चिट छिपाने की घटनाओं के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब हमने परीक्षा हॉल के बाहर फ़िल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

(५) अंत में, आप क्विज परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर: मेरा छात्रों के लिए एक सरल संदेश है - खुद पर भरोसा रखें, मेहनत से पढ़ाई करें और शॉर्टकट अपनाने से बचें। बोर्ड ने निष्पक्ष और तनाव-मुक्त परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। हम छात्रों की मदद के लिए हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मैं सभी छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। धारा १४४, फ्लाईंग स्कॉड और सीसीटीवी निगरानी के बावजूद राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नकल करने वाले ६० से अधिक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई।

सुदर्शन घुले को १४ फरवरी तक पुलिस कस्टडी

मस्साजोग (ता. केज) के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में आरोपी सुदर्शन घुले को, इस प्रकरण से संबंधित फिरौती के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को केज न्यायालय में पेश किए जाने पर, न्यायालय ने उसे १४ फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

इससे पहले, आवादा कंपनी के प्रोजेक्ट अधिकारी से २ करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में वाल्मिकि कराड और विष्णु घाटे से पूछताछ की गई थी।

हालांकि, सुदर्शन घुले की इस मामले में अब तक पूछताछ नहीं हुई थी। इसलिए, सीआईडी के उपअधीक्षक अनिल गुजर ने उसे हिरासत में लेकर केज थाने में गिरफ्तार किया। बुधवार को केज न्यायालय के प्रथम वर्ग न्यायाधीश एस. वी. पावसकर के समक्ष पेश किए जाने पर, सीआईडी ने सुदर्शन घुले की ५ दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की। हालांकि, न्यायालय ने उसे १४ फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया।



लाडकी बहन योजना कभी बंद नहीं होगी-मुख्यमंत्री की गारंटी



विशेष प्रतिनिधि

मुंबई: (जमीर काजी)

लाडकी बहन योजना हमारे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सहारा है, यह बात बर्तन मांजने का काम करने वाली महिलाओं ने कही। उनकी यह भावना सुनते ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया, यह योजना कभी भी बंद नहीं होगी!

यवतमाल जिले के घाटंजी की २० महिला मजदूरों को रसिकाश्रय संस्था ने जीवाची मुंबई, श्रमाची आनंदवारी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री फडणवीस से सह्याद्री अतिथिगृह में मुलाकात करवाई। इस दौरान कई महिलाओं की आँखों में आँसू आ गए।

एक बुजुर्ग महिला भावुक होकर बोलीं, बर्तन मांजकर सिर्फ ५०० रुपये मिलते थे, जिससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 'लाडकी बहन' योजना से हमें बड़ा सहारा मिला। मुख्यमंत्री ने उनकी भावनाओं को समझते हुए भरोसा दिलाया कि लाडकी

बहन योजना कभी बंद नहीं होगी, बल्कि इस योजना के तहत और अधिक मदद कैसे दी जा सकती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

महिलाओं के लिए यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि जीवनभर याद रहने वाला अनुभव था। यह मुलाकात महिलाओं के लिए केवल योजनाओं पर चर्चा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव भी था। एक महिला ने उत्साह से कहा, हमने कभी हवाई जहाज भी नहीं देखा था, लेकिन अब हम उसमें यात्रा भी कर चुके हैं। ये दो दिन हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे!

महिलाओं ने मुख्यमंत्री से सम्मान निधि के रूप में हर साल १०,००० रुपये देने की माँग भी रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार इस माँग पर विचार करेगी।

इसके अलावा, कुछ वृद्ध महिलाएँ जो 'लाडकी बहन योजना' के लिए पात्र नहीं थीं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने 'निराधार योजना' के तहत सहायता देने का आश्वासन दिया।

पोलिस बंदोबस्त के साथ बीड नगर परिषदने हटाये अतिक्रमण



बीड, १२ फरवरी (प्रतिनिधि): बीड नगर परिषद ने बुधवार (१२ तारीख) को शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस अभियान में हाथ पर पेट पालने वाले छोटे दुकानदारों द्वारा बनाई गई टिन की झोपड़ियों को हटाया गया। इससे सड़कों ने राहत की सांस ली है। यदि नगर परिषद अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी तो उसका स्वागत है, लेकिन पेट के लिए किए गए अतिक्रमण हटाते समय, बीड में जिन बिल्डरों ने नदी-नालों को निगलकर बड़ी-बड़ी इमारतें नदी के पात्र में, बाढ़ रेखा में बनाई हैं, आपन स्पेस पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, उन अतिक्रमणों की ओर नगर परिषद की नजर कब जाएगी, यह सवाल आम जनता के मन में है।

शहर में स्वच्छता, पानी और धूल की गंभीर समस्या

है, जिससे नागरिक परेशान हैं। लेकिन इस बारे में अनदेखी करने वाली नगर परिषद अचानक जाग गई और शहर की सड़कों पर छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों की चाय की टपरी, पान की टपरी सहित अन्य व्यवसायियों की रोजी-रोटी पर असर डाला।

इससे यातायात में बाधा और शहर की बदसूरती हो रही थी, इसलिए बुधवार (१२ तारीख) को नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाया। इसकी सूचना मंगलवार (११ तारीख) को नगर परिषद ने लाउडस्पीकर के माध्यम से दी थी। जिन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके हाथगाड़ी और टपरी तोड़ी गई। यह अभियान शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कारंजा रोड, नगर रोड और जालना रोड पर चलाया गया। अन्य

क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से शहर की सड़कों ने राहत की सांस ली है। यदि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा तो उसका स्वागत है, लेकिन यह करते समय कानून का डर केवल गरीबों पर ही क्यों, यह सवाल उठ रहा है।

बीड शहर में पिछले कुछ वर्षों में नगर परिषद की अनदेखी के कारण जगह-जगह अतिक्रमण हुआ है। बिंदुसरा और कर्परा नदी की बाढ़ रेखा के साथ-साथ नदी के पात्र में भी निर्माण कार्य हुए हैं, नाले में भराव डालकर उन्हें बेचा गया है, उन पर बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी की गई हैं। पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों पर अतिक्रमण हुआ है। शहर के ओपन स्पेस गायब हो गए हैं और उन पर भी अतिक्रमण हुआ है। यह अतिक्रमण करने वाले कुछ सिर पर दो टिन की छत नहीं, इसलिए आश्रय खोजने के लिए किया गया अतिक्रमण नहीं, बल्कि बिल्डर लॉबी के घनाढ्य लोगों ने प्रशासन के लोगों को साथ मिलाकर यह अतिक्रमण किया है, और उस पर करोड़ों की संपत्ति जमा की है। यदि नगर परिषद को वास्तव में कानून की परवाह है, तो इन घनाढ्यों द्वारा किए गए अतिक्रमणों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और उन अतिक्रमणों पर बुलडोजर नहीं तो कम से कम हथौड़ा तो दिखाने की हिम्मत दिखानी चाहिए, ऐसी मांग आम जनता से हो रही है। इसी विषय को लेकर बीड शहर में डॉ. गणेश धवले, रामनाथ खोड आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया है।

UFill के साथ डिजिटल हो जाएं और

मुफ्त ईंधन

2%* तुरंत पाएं

***₹120 मूल्य तक का ज्यादा ईंधन पाएं।**

ऑफर 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक वैध

पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरा कंट्रोल

फारुकी पेट्रोल पंप (एजन्सीज्)

बीपीसीएल डिलर

छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, बीड.

और रद्द लागू। डिजिट करें www.bharatpetroleum.in

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

